<u>न्यायालय: सत्र न्यायाधीश, एटा</u>

उपस्थितः दिनेश चन्द, एच०जे०एस०

जे०ओ० कोड सं०– यू0 पी0 6538

<u>अग्रिम जमानत प्रार्थना–पत्र संख्या– 402/2026</u>

(C.N.R. UPET010009852026)

रिंकू सागर उम्र करीब 28 वर्ष पुत्र रामसहाय, निवासी नगला महासिंह, थाना बरहन, जिला आगरा। –––––आवेदक/अभियुक्त

बनाम

उ०प्र० सरकार –––––विपक्षी

मु0 अ 0 सं0–69/2026
धारा–69, 351(3), 61(2) बी0 एन 0 एस 0
एवं **3/4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम**
थाना–जलेसर, जिला एटा।

<u>01.04.2026</u>

आवेदक/अभियुक्त **रिंकू सागर** की ओर से मुकदमा अपराध संख्या–**69/2026** अन्तर्गत धारा–**69, 351(3), 61(2) बी0 एन 0 एस 0** एवं **3/4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम,** थाना–**जलेसर**, जिला एटा के मामले में अग्रिम जमानत प्रार्थना–पत्र मय शपथपत्र प्रस्तुत किया गया है तथा उल्लिखित किया गया है कि यह उसका प्रथम अग्रिम जमानत प्रार्थना–पत्र है।

अभियोजन कथानक इस प्रकार है कि वादिनी/पीड़िता वर्ष 2019 में अपनी मुंह बोली मौसी नीरज के यहां तेरहवी में गयी थी। उसने अपना मोबाइल फोन वहीं पर चार्ज लगाने के लिए दिया था, वहीं पर उसके मोबाइल फोन से परिवार के रिंकू सागर, जो कि उसकी मौसी का देवर है, ने अपने फोन पर फोन करके उसका नंबर ले लिया और वह उससे फोन पर दिन में बाते करने लगा। अब तक उपरोक्त रिंकू ने वादिनी से अपने मोबाइल नं 9410412115, 8126382959 व 9897845430 व 7715065281 से बात की है। उक्त रिंकू सागर ने उसके साथ पहली बार वर्ष 2019 में उसी रात तेरहवीं के बाद कमरे से रिंकू उसे मुंह बंद कर छत पर उठा ले गया। जबरन कुकृत्य/यौन शोषण किया और जब वह चिल्लाई तो उसके अश्लील फोटो खींचे और वीडियो बना ली और सोशल मिडिया पर डालने की धमकी दी। वादिनी डर गई थी। उसने वादिनी को कई बार होटलों में जैसे टुंडला, आगरा व जलेसर बुलाया। जब उसने आने के लिए मना किया तो उसने वादिनी को जान से मारने की धमकी दी और कहा कि उसके अश्लील फोटो सोशल मीडिया पर वायरल कर देगा। वादिनी मजबूरी में जबरन उसके पास जाती रही और उसने कई बार उसकी मर्जी के विरुद्ध जबरन यौन शोषण किया। वह उससे कहता था कि उसकी बहन की शादी हो जाने दो, उसके बाद वह वादिनी से शादी करेगा। कुछ समय बाद उसकी बहन की शादी हो गई। जब वादिनी ने शादी के लिए कहा तो उसने कहा कि बहन की शादी का कर्ज है, उसे अदा करने के बाद ही शादी करेगा। बाद में उसने वादिनी की बात अपनी बहन ब्रजेश लता व अपने बहनोई इन्द्रजीत (जो पुलिस विभाग में हैं) से कराई। उनके मोबाइल नंबर 8173907714 है। तब उसके बहनोई ने भी उससे वादा किया कि रिंकू की शादी उसके साथ ही होगी। बाद

Digitally signed by DINESH CHAND
Date: 2026.04.01 17:29:24 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

में रिंकू ने उसके पिता से शादी में स्कोर्पियो व अतिरिक्त दहेज में 10 लाख रुपये देने को कहा। वादिनी के पिता ने दहेज देने से मना किया तो उसने वादिनी से शादी करने से साफ मना कर दिया और कहा कि वादिनी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती क्योंकि उसका जीजा पुलिस विभाग में है। उक्त रिंकू ने उसका एक मोबाइल Oppo अपने पास रख लिया है, जिसमें उसकी सिम नंबर 7983675197 पड़ी हुई है। उसके जीजा ने अपने स्टेटस पर फोटो व वीडियो डाली, जिसमें रिंकू की सगाई हो रही है। बाद में पता चला कि रिंकू किसी अन्य से शादी कर रहा है। उपरोक्त रिंकू सागर पिछले 6 साल से उसे परेशान कर रहा है।

अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र पर अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता व अभियोजन की ओर से विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता (फौ0) के तर्क सुना व उपलब्ध प्रपत्रों का परिशीलन किया।

आवेदक/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता द्वारा तर्क दिया गया कि आवेदक/अभियुक्त निर्दोष है। उसे उपरोक्त केस में झूठा व नाराजगी के कारण फँसाया गया है, जबकि उसने उपरोक्त केस से सम्बन्धित कोई अपराध कारित नहीं किया है। आवेदक के बडे भाई रवि कुमार के साडू अजयपाल सिंह, जोकि वादिनी के पिता से रिश्तेदारी होने के कारण दोनों लोगों की जान पहचान व आना जाना था, इसलिये आवेदक भी अजय पाल सिंह से परिचित था। दिनांक 15.12.2025 को अजयपाल सिंह का पुत्र अनिकेत, आवेदक के गाँव में 3–4 अज्ञात लोगों के साथ भैंस देखने व खरीदने के लिये आया और भैंस देखकर जाते समय उसके पास उसके घर आया और कहने लगा कि उसे किसी काम से आगरा जाना है, उसे अपनी मोटर साइकिल दे दो। आवेदक ने रिश्तेदारी होने के कारण अपनी मोटर साइकिल हीरो स्प्लैण्डर नं०–यू०पी० 80 एचडब्लू, 7501 दे दी, कुछ दिन बीत जाने के बाद भी अनिकेत, आवेदक की मोटर साइकिल को वापस देने के लिये नहीं आया तो उसने कई बार फोन पर सम्पर्क करने की कोशिश की, परन्तु अनिकेत ने फोन भी उठाना बन्द कर दिया। तब आवेदक अनिकेत के घर ग्राम नूंहखास गया और अपनी मोटर साइकिल के बारे में पूँछा, इसी बात पर नाराज होकर वहाँ पर मौजूद अजयपाल, अनिकेत, पीड़िता, अनिकेत की मॉ रेखा देवी ने आवेदक को माँ बहन की गन्दी गन्दी गालियाँ दी और सभी लोग मारपीट पर आमादा हो गये और कहने लगे कि साले यहाँ से भाग जा और दोबारा मोटर साइकिल लेने मत आना और आया तो तुझे मारकर हजारा नहर में फेंक देंगे और पुलिस में शिकायत की तो तुझे किसी झूठे मुकददमें में फंसाकर जेल भिजवा देंगे। वादिनी द्वारा उपरोक्त कार्यवाही से बचने के लिये वादिनी के परिवारीजनों ने एक षडयन्त्र के तहत आवेदक व उसके बहनोई पर दबाव बनाने व अपने ऊपर कार्यवाही से बचने के लिये यह झूठा मुकदमा दर्ज कराया है। वादिनी द्वारा सन् 2019 से लेकर सन्–2025 तक किसी प्रकार की कोई कार्यवाही या शिकायत किसी उच्च अधिकारियों उक्त घटना के सम्बन्ध में नही की गयी है, इससे साफ स्पष्ट होता है कि वादिनी द्वारा एक झूठी घटना बनाकर झूठी रिपोर्ट दर्ज करायी है। प्रथम सूचना रिपोर्ट में वादिनी ने आवेदक के घर आने का दिनांक व समय अंकित नहीं किया है और ना ही घटना का दिनांक व समय अंकित किया है। वादिनी ने अपनी प्रथम सूचना रिपोर्ट में होटल में जाने का कथन किया है, परन्तु किसी भी होटल का नाम व समय व दिनांक अंकित नही किया गया है। प्रथम सूचना रिपोर्ट में वादिनी ने अपना मोबाइल नम्बर अंकित नहीं किया है, जिससे वह बात करती थी। उसका कोई आपराधिक इतिहास नही है। उपरोक्त केस में कोई स्वतन्त्र एंव निष्पक्ष साक्षी नही है। वह सजायाफ्ता नहीं है। उक्त आधारों पर अभियुक्त को अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र स्वीकार किये जाने की याचना की गयी।

अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र का विरोध करते हुये विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) की ओर से तर्क किया गया है कि आवेदक/अभियुक्त ने पीड़िता को शादी का झांसा देकर उसके साथ बलात्कार किया और बाद में दहेज की मांग की, जिसकी

पूर्ति न होने के कारण शादी करने से इन्कार कर दिया। अपराध गंभीर प्रकृति का है। उक्त आधारों पर अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र निरस्त किये जाने की याचना की गयी।

अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र पर अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता व अभियोजन की ओर से जिला शासकीय अधिवक्ता (फौ0) के तर्क सुना व उपलब्ध प्रपत्रों का परिशीलन किया।

धारा–482 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 में अग्रिम जमानत का प्रावधान निम्न प्रकार अंकित है–

(1) जब किसी व्यक्ति को यह विश्वास करने का कारण है कि हो सकता है उसको किसी अजमानतीय अपराध के किये जाने के अभियोग में गिरफ्तार किया जा सकता है, तो वह इस धारा के अधीन निदेश के लिए उच्च न्यायालय या सेशन न्यायालय को आवेदन कर सकता है और यदि वह न्यायालय ठीक समझे तो वह निदेश दे सकता है कि ऐसी गिरफ्तारी की स्थिति में उसको जमानत पर छोड़ दिया जाये।

(2) जब उच्च न्यायालय या सेशन न्यायालय उपधारा (1) के अधीन निदेश देता है तब वह उस विशिष्ट के के तथ्यों को ध्यान में रखते हुए उन निदेशों में ऐसी शर्तें, जो वह ठीक समझे, सम्मिलित कर सकता है, जिनके अन्तर्गत निम्नलिखित भी हैं–

i. यह शर्त कि वह व्यक्ति पुलिस अधिकारी द्वारा पूछे जाने वाले परिप्रश्नों का उत्तर देने के लिए जैसे और जब अपेक्षित हो, उपलब्ध होगा;
ii. यह शर्त कि वह व्यक्ति उस मामले के तथ्यों से अवगत किसी व्यक्ति को न्यायालय या किसी पुलिस अधिकारी के समक्ष ऐसे तथ्यों को प्रकट न करने के लिए मनाने के वास्ते प्रत्यक्षतः या अप्रत्यक्षतः उसे कोई उत्प्रेरणा, धमकी या वचन नहीं देगा;
iii. यह शर्त कि वह व्यक्ति न्यायालय की पूर्व अनुजा के बिना भारत नहीं छोड़ेगा;
iv. ऐसी अन्य शर्तें जो धारा 480 की उपधारा (3) के अधीन ऐसे अधिरोपित की जा सकती हैं मानो उस धारा के अधीन जमानत मंजूर की गई हो।

(3) यदि तत्पश्चात् ऐसे व्यक्ति को ऐसे अभियोग पर पुलिस थाने के भारसाधक अधिकारी द्वारा वारण्ट के बिना गिरफ्तार किया जाता है और वह या तो गिरफ्तारी के समय या जब वह ऐसे अधिकारी की अभिरक्षा में है तब किसी समय जमानत देने के लिए तैयार है, तो उसे जमानत पर छोड़ दिया जाएगा; तथा यदि ऐसे अपराध का संज्ञान करने वाला मजिस्ट्रेट यह विनिश्चय करता है कि उस व्यक्ति के विरुद्ध प्रथम बार ही वारण्ट जारी किया जाना चाहिए, तो वह उपधारा (1) के अधीन न्यायालय के निदेश के अनुरूप जमानतीय वारण्ट जारी करेगा।

(4) इस धारा की कोई बात भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 65 या धारा 70 की उपधारा (2) के अधीन किसी अपराध को कारित करने के अभियोग पर किसी व्यक्ति की गिरफ्तारी अंतर्वलित करने वाले किसी मामले को लागू नहीं होगी।

माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा **श्री गुरुबक्स सिंह सिबिया व अन्य बनाम स्टेट आफ पंजाब राज्य (1980)2 सुप्रीम कोर्ट केसेज पेज 565** में यह अभिनिर्धारित किया गया कि न्यायालय को अग्रिम जमानत पर आदेश पारित करते समय यह निर्धारित करना चाहिए कि अपराध की गम्भीरता कितनी है और क्या अभियुक्त की उपस्थिति विचारण के दौरान सुनिश्चित की जा सकेगी अथवा वह मुकदमे के गवाहों को प्रभावित नहीं करेगा। इसके अलावा जनहित व राज्य का हित भी न्यायालय को अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र निस्तारित करते समय ध्यान में रखना चाहिए।

माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा **सिद्धाराम सत्यलिंगप्पा महेत्रे बनाम महाराष्ट्र राज्य 2011 (1) सुप्रीम कोर्ट केसेज पेज 694** की विधि व्यवस्था के प्रस्तर संख्या 112 में यह भी निर्धारित किया गया है कि न्यायालय को अग्रिम जमानत निस्तारित करते समय निम्नलिखित माप दण्ड अपनाया जाना चाहिए–

1. अपराध की प्रकृति एवं उसकी गम्भीरता तथा अपराध कारित करने वाले अभियुक्त की भूमिका,
2. अभियुक्त का आपराधिक इतिहास तथा यदि वह किसी न्यायालय द्वारा दोषसिद्धि में जेल गया हो,
3. अभियुक्त के मुकदमे के विचारण के दौरान अनुपस्थित होने की सम्भावना,
4. अभियुक्त द्वारा पुनः ऐसे ही अपराध की पुनरावृत्ति किये जाने की सम्भावना,
5. अभियुक्त को केवल चोट पहुँचाये जाने अथवा प्रताड़ित किये जाने हेतु गिरफ्तार किया जाना,
6. अभियुक्त को अग्रिम जमानत पर छोड़े जाने से जनता के लोगों में उसका प्रभाव,
7. न्यायालय द्वारा सभी तथ्यों पर अत्यधिक सावधानीपूर्वक विचार किया जाना चाहिए,
8. अग्रिम जमानत आवेदन पत्र का निस्तारण करते समय न्यायालय को दोनो तथ्यों पर विचार करना चाहिए कि विवेचना स्वतंत्र, साफ सुथरी हो और अभियुक्त का भी कोई उत्पीड़न या अपमान करने का आशय नहीं होना चाहिए,
9. अभियुक्त के द्वारा गवाहों को, अथवा वादी को कोई धमकी, उत्प्रेरणा या वचन दिये जाने की सम्भावना का भी ध्यान रखना चाहिए,
10. न्यायालय को अग्रिम जमानत आवेदन पत्र प्रस्तुत करते समय सभी सम्भावनाओं को दृष्टिगत रखना चाहिए तथा अभियोजन पक्ष के केस में यदि संदेह हो, तब जमानत दिया जाना चाहिए। इसके अलावा सामान्यता अभियुक्त को जमानत दिया जाना चाहिए–

केस डायरी के अनुसार आवेदक/अभियुक्त पर पीड़िता को शादी का झांसा देकर उसके साथ जबरन बलात्कार करने का अभियोग है। पीड़िता ने अपने बयान अन्तर्गत धारा 183 बी0 एन 0 एस 0 एस 0 में आवेदक/अभियुक्त द्वारा उसके साथ तथाकथित घटना कारित किया जाना बताया है। मामले में प्रथम सूचना रिपोर्ट आवेदक/अभियुक्त के विरुद्ध नामजद अंकित करायी गयी है, जिसमें विवेचना प्रचलित है। आवेदक/अभियुक्त का आपराधिक इतिहास होना भी वादिनी अधिवक्ता द्वारा बताया गया है। इस संभावना से इन्कार नहीं किया जा सकता कि यदि आवेदक/अभियुक्त को अग्रिम जमानत पर रिहा किया गया तो वह जमानत की शर्तों का उल्लंघन कर वादिनी व अन्य गवाहों को ना ही डरायेगा, ना ही धमकायेगा और ना ही साक्ष्य को प्रभावित करेगा। अतः मामले के तथ्य, परिस्थितियों तथा अपराध की गम्भीरता को दृष्टिगत रखते हुए गुणदोष पर कोई अभिमत व्यक्त किये बिना आवेदक/अभियुक्त की ओर से प्रस्तुत अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त किये जाने योग्य है।

<u>आदेश</u>

आवेदक/अभियुक्त **रिंकू सागर** की ओर से मुकदमा अपराध संख्या–**69/2026** अन्तर्गत धारा–**69,351(3),61(2) बी0 एन 0 एस 0** एवं **3/4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम,** थाना–**जलेसर**, जिला एटा के मामले में प्रस्तुत अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त किया जाता है।

दिनॉकः 01.04.2026

(दिनेश चन्द)
सत्र न्यायाधीश, एटा।
JO Code UP 6538